पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 20.12.2020

1-थाना फेस-3 पुलिस द्वारा 04 शातिर भैंस चोर गिरोह के सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से 10500 रुपये नकद व एक आइसर कैन्टर व 02 चाकू व एक तंमचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

दिनांक 20.12.2020 को थाना फेस 3 पुलिस द्वारा 04 शातिर अभि0गण 1. फकीरिया पुत्र कमलू निवासी कमरूद्दीन नगर, मढीयाही थाना सरधना जिला मेरठ 2. नुरु मोहम्मद पुत्र मुंशी निवासी खिरवा जलालपुर थाना सरधना जिला मेरठ 3. सुल्तान उर्फ कालू पुत्र लालची निवासी ग्राम कमरूद्दीन नगर, मडयाही थाना सरधना जिला मेरठ 4. मौहम्मद हनीफ उर्फ मुन्ना पुत्र पटवारी निवासी कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली को हनुमान मन्दिर पुस्ता रोड से 30 मीटर पहले थाना क्षेत्र फेस 3 से गिरफ्तार किया गया है ।

विवरण-

सभी अभि0गण मिलकर एनसीआर क्षेत्र व हरियाणा, पंजाब से भैंस चोरी करते है । आज से करीब 10 दिन पहले भी सभी अभि0गण नें मिलकर थाना क्षेत्र फेस 3 से दो भैस चोरी की थी, जिसके सम्बन्ध में थाना फेस 3 पर मु0अ0स0 967/2020 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था। अभि0गण पूर्व में भी मुजफ्फरनगर व बड़ौत से जेल जा चुके है तथा बरामद केन्टर नं0 यूपी 15 ईटी 0098 भी मु0अ0सं0 545/20 धारा 11/3डी पशु क्रूरता अधि0 थाना बड़ौत जनपद बागपत में आरटीओ मेरठ में ब्लैक लिस्टिड है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1.फकीरिया पुत्र कमलू निवासी कमरूद्दीन नगर, मढीयाही थाना सरधना जिला मेरठ

2.नुरु मोहम्मद पुत्र मुंशी निवासी खिरवा जलालपुर थाना सरधना जिला मेरठ

3.सुल्तान उर्फ कालू पुत्र लालची निवासी ग्राम कमरूद्दीन नगर, मडयाही थाना सरधना जिला मेरठ

4. मौहम्मद हनीफ उर्फ मुन्ना पुत्र पटवारी निवासी कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली

<u>अभि0 फकीरिया का आपराधिक इतिहास</u>

1.मु0अ0सं0 423/17 थाना सरधना जिला मेरठ

2.मु0अ0सं0 969/20 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना फेस-3 नोएडा

3.मु0अ0सं0 967/20 धारा 379/411 भादवि थाना फेस-3 नोएडा

<u>अभि0 नुरू मोहम्मद का आपराधिक इतिहास</u>

1.मु0अ0सं0 970/20 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना फेस-3 नोएडा

2.मु0अ0सं0 967/20 धारा 379/411 भादवि थाना फेस-3 नोएडा

<u>अभि0 मौहम्मद हनीफ का आपराधिक इतिहास</u>

1.मु0अ0सं0 971/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना फेस-3 नोएडा

2.मु0अ0सं0 967/20 धारा 379/411 भादवि थाना फेस-3 नोएडा

बरामदगी का विवरण-

1 10,500 रुपये नगद सम्बन्धित मु0अ0सं0 967/2020 धारा 379/411 भादवि थाना फेस 3 नोएडा

2. 02 अवैध चाकू

3. 01 तंमचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

4. एक आइसर कैन्टर रंग लाल रजि0 न0 यूपी 15 ईटी 0098

2-थाना सेक्टर 24 पुलिस द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर पैसे लेकर बेरोजगारों से ठगी करने वाला शातिर जालसाज मय 02 साथियों के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 20.12.2020 को थाना सेक्टर 24 क्षेत्र अन्तर्गत मोरना बस स्टैण्ड के पास से भोले भाले बेरोजगार लोगो से धोखाधड़ी कर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेने वाला शातिर जालसाज अभियुक्त डॉ0 बृजेश कुमार वर्मा गिरफ्तार तथा कब्जे से 41,500 रूपये तथा निशानदेही पर दस्तावेज, मोबाइल फोन, डेस्कटॉप कम्प्यूटर आदि बरामद तथा उसके दो अन्य साथी महेश पटेल पुत्र छेदालाल निवासी ग्राम परम थाना मिलक जनपद रामपुर वर्तमान निवासी डायट कैम्पस दनकौर ग्रेटर नोएडा, अभियुक्त राजवीर उर्फ राजू पुत्र कालीचरण निवासी हसनपुर जागीर थाना दनकौर ग्रेटर नोएडा भी गिरफ्तार हुये हैं।

विवरण -

अभियुक्त डॉ0 बृजेश कुमार वर्मा एक शातिर जालसाज है। अभियुक्त पूर्व मे जनपद रायबरेली के ऊँचाहार में चश्मे की दुकान चलाता था तथा वर्ष 1995 मे प्रधानी का चुनाव इसके द्वारा लड़ा गया था । अभियुक्त वर्ष 2019 में आर.पी.आई.(रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इण्डिया) के टिकट पर मछलीशहर जौनपुर उत्तर प्रदेश से लोकसभा का चुनाव लड़ा था । अभियुक्त द्वारा इस चुनाव मे बेरोजगार लोगो से धोखाधड़ी कर उनकी गाढ़ी कमाई से ठगे गये करीब 25 से 30 लाख रूपये खर्च किये गये थे । अभियुक्त बी.एस.सी. पास है तथा इसके द्वारा डी.ओ.टी. (डिप्लोमा ऑफ ऑप्थोमेट्रीक्स) भी किया गया है ।

अभियुक्त द्वारा वर्ष 2007 में एक एन.जी.ओ. एस.एस.एस. संस्थान (शिल्पी स्वयं सेवा संस्थान) लखनऊ उत्तर प्रदेश (Reg. by U.P. Government- 85/65/2008) रजिस्टर्ड कराया गया । इस जालसाज ने बेरोजगार महिलाओ को स्वावलम्बी बनाने के नाम पर नोएडा के ग्राम चौड़ा रघुनाथपुर सेक्टर 22 में एक प्रशिक्षण केन्द्र माह अक्टूबर 2020 में खोला गया जिसमे वह प्रशिक्षुओं को एक सप्ताह का सर्टिफिकेट बिना कोर्स कराये कोर्स कराने के नाम पर देता था तथा जाली नियुक्ति पत्र जनपद के विभिन्न पूर्व माध्यमिक विधालयों मे काम करने के लिये देता था । प्रशिक्षण केन्द्र से जुड़े करीब 100 से अधिक महिला/पुरूषों से अब तक यह अभियुक्त कई लाख रूपये सिक्योरिटी मनी के रूप मे ले चुका है । अभियुक्त इन्हे जिला समन्वयक, सलाहकार, ब्लाक समन्वयक, तहसील समन्वयक, जाँच अधिकारी, रिपोर्ट अधिकारी, ब्यूटीशियन प्रशिक्षिका, सिलाई/कढ़ाई प्रशिक्षिका आदि तरह – तरह के विभिन्न पदों पर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर नियुक्त करता था तथा सभी से दस हजार से पचास हजार रूपये तक की सिक्योरिटी मनी जमा कराता था । अभियुक्त द्वारा जनपद के बीएसए को अपने एन.जी.ओ. का पत्र भेजा जाता था कि उसकी संस्था एस.एस.एस. संस्थान जिले के दनकौर, बिसरख, दादरी , नोयडा के 10-10 पूर्व माध्यमिक विधालयों मे अध्ययनरत छात्राओं को सिलाई/कढ़ाई आदि का नि:शुल्क प्रशिक्षण अपनी योग्य प्रशिक्षिकाओं से देना चाहती है इसके आधार पर बीएसए गौतमबुद्धनगर द्वारा इस संस्था को नि:शुल्क प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान की गई थी । जिसकी आड़ मे अभियुक्त द्वारा बेरोजगार महिलाओं को फर्जी नियुक्ति पत्र देकर तथा

सभी से दस हजार से पचास हजार रूपये तक की सिक्योरिटी मनी जमा करायी गई । अभियुक्त द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर के अतिरिक्त मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलन्दशहर, गाजियाबाद आदि जनपदों मे अपने इसी प्रकार के कार्यालय खोले गये जिनमें इसी प्रकार के कार्य संचालित किए जाते हैं जिनमे इसके द्वारा जिला समन्वयक अधिकारी नियुक्त किये गये इसके द्वारा एक ब्लाक मे 10 स्कूलों मे ब्लाक समन्वयकों को 10 केन्द्र बनाने हेतु कहा गया और यह भी कहा गया जब 10 केन्द्र पूर्ण होगे तभी मानदेय जारी होगा एक ब्लाक मे दो ब्लाक समन्वयक होगें जिस जिले मे पाँच ब्लाक है उसमें एक जिला समन्वयक होगा तथा तीन ब्लाक मे एक सलाहकार होगा ब्लाक समन्वयक की नियुक्ति जिला समन्वयक एवं जिला सलाहकार की सलाह पर होगी तथा पाँच ब्लाक पर एक ऑफिस होगा उन तक इसकी योजनाओं का प्रचार करने तथा जो जुड़ना चाहते हो उन्हे अपने ऑफिस बुलाये जाने हेतु इसके द्वारा निर्देशित किया जाता था । अभियुक्त द्वारा अपनी संस्था का पत्र स्कूलों मे भेजा जाता था कि इसकी संस्था स्कूलो के खेल के मैदान, पंखे, लाईट, सिलाई, कढ़ाई आदि का काम नि:शुल्क करायेगी । इसके द्वारा जनपद मथुरा तथा अन्य जनपदों में भी इसी प्रकार के फर्जी केन्द्र खोले जाने वाले थे , इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा दिल्ली तथा हरियाणा के फरीदाबाद मे केन्द्र खोले जाने तथा उनके विधालयो मे प्रशिक्षिकाओं द्वारा प्रशिक्षण दिये जाने हेतु अप्लाई किया गया था किन्तु दिल्ली तथा फरीदाबाद मे कोविड-19 की बजह से इस शातिर जालसाज को अनुमति नही प्राप्त हुई ।

अभियुक्त द्वारा अपना नाम बदल बदल कर वर्ष 2011 मे जनपद मैनपुरी मे बृजेश सिंह उर्फ बृजेश गौतम के नाम से इसी प्रकार की जालसाजी की गई थी तथा वर्ष 2013 मे जनपद फतेहपुर में बृजेश कुशवाहा के नाम से धोखाधड़ी की गई थी जिसमें इसके विरुद्ध कोतवाली थाना में इसी प्रकार की जालसाजी का अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमें डॉ0 बृजेश कुमार वर्मा जेल भी गया था । अभियुक्त डॉ0 बृजेश कुमार वर्मा के अन्य राज्यों / जनपदो से आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त की नाबार्ड द्वारा सहायतित महिला प्रशिक्षण की रकम हड़पने के उपरान्त भविष्य की यह योजना थी कि नाबार्ड द्वारा सहायतित हाट बाजार जिसमें 5 ग्राम सभा मे एक हाट बाजार खोला जाना, किसान क्लब जिसमें 10 किसानों का एक समूह होना तथा स्वयं सहायता समूह जिसमें 10 महिलाओं का एक समूह बनाया जाना था जिसमे नाबार्ड से प्राप्त होने वाली रकम को भी अभियुक्त द्वारा हड़पने की योजना थी । अभियुक्त द्वारा ग्राम चौड़ा रघुनाथपुर सेक्टर 22 में अपनी संस्था का जो कार्यालय तथा एक प्रशिक्षण केन्द्र नाबार्ड से प्राप्त होने बाली रकम हड़पने के लिये बनाया गया था उसका भौतिक निरीक्षण भी नाबार्ड के अधिकारियों को अभियुक्त द्वारा कराया गया था । अभियुक्त डॉ0 बृजेश कुमार वर्मा द्वारा अब तक हुई जानकारी की संख्या करीब 62 लोगो के अतिरिक्त काफी बड़ी संख्या मे अन्य लोगो से भी इसी प्रकार की जालसाजी किये जाने की सम्भावना है तथा इसके साथ अन्य लोगो के भी शामिल होने की सम्भावना है जिनकी जाँच की जा रही है ।

अभियुक्त की इस एस.एस.एस. संस्था को नाबार्ड (NABARD) से इस हेतु करीब 25 लाख रूपये तथा समाज कल्याण विभाग से भी काफी भारी अनुदान माह जनवरी मे प्राप्त होने वाला था कि अभियुक्त का

भांडा फूट गया और फर्जीवाड़ा उजागर हो गया और यह जालसाज पकड़ा गया तथा भारत सरकार / उत्तर प्रदेश सरकार से इसकी संस्था को प्राप्त होने वाले करोड़ो रूपये बच गये ।

अभियुक्तों का विवरण-

1.अभियुक्त डॉ0 बृजेश कुमार वर्मा पुत्र रामदयाल मूल निवासी ग्राम ताजुद्दीनपुर थाना मानिकपुर कुण्डा प्रतापगढ़ वर्तमान निवासी फ्लैट नं0 405 टॉवर नं0 21 अमन सोसाइटी सेक्टर 150 ग्रेटर नोएडा तथा गली नं0 2 संजय पार्क के पास शकरपुर लक्ष्मीनगर दिल्ली

2.अभियुक्त महेश पटेल पुत्र छेदालाल निवासी ग्राम परम थाना मिलक जनपद रामपुर वर्तमान निवासी डायट कैम्पस दनकौर ग्रेटर नोएडा

3.अभियुक्त राजवीर उर्फ राजू पुत्र कालीचरण निवासी हसनपुर जागीर थाना दनकौर ग्रेटर नोएडा

अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास का विवरण

अभियुक्त डॉ0 बृजेश कुमार वर्मा का आपराधिक इतिहास का विवरण -

मु0अ0सं0 119/2013 धारा 419,420,467,468,471 भादवि0 थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर

मु0अ0सं0 743/2020 धारा 420,465,467,468,471,120बी भादवि0 थाना सेक्टर 24 नोएडा गौतमबुद्धनगर

अभियुक्त महेश पटेल पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0 743/2020 धारा 420,465,467,468,471,120बी भादवि0 थाना सेक्टर 24 नोएडा गौतमबुद्धनगर

अभियुक्त राजवीर उर्फ राजू पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0 743/2020 धारा 420,465,467,468,471,120बी भादवि थाना सेक्टर 24 नोएडा गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

1. 41,500 रूपये नकद
2. एक डेस्कटॉप कम्प्यूटर
3. एक मोबाइल फोन
4. भारी मात्रा मे फर्जी दस्तावेज

3-थाना जारचा पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 20.12 .2020 को थाना जारचा पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्त 1.अमित यादव पुत्र सतपाल यादव निवासी सोरखा जहीदाबाद थाना सेक्टर 49 गौतमबुद्धनगर 2. हरवीर पुत्र अंगद राम निवासी ग्राम सोरखा जहीदाबाद थाना ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर को कलौदा कट पास थाना क्षेत्र जारचा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त मु0अ0स0 69/2020 धारा 307 भादवि व मु0अ0स0 70/2020 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना जारचा में वांछित चल रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.अमित यादव पुत्र सतपाल यादव निवासी सोरखा जहीदाबाद थाना सेक्टर 49 गौतमबुद्धनगर

2. हरवीर पुत्र अंगद राम निवासी ग्राम सोरखा जहीदाबाद थाना ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर

अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 69/2020 धारा 307 भादवि थाना जारचा गौतमबुद्धनगर

मु0अ0स0 70/2020 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना जारचा गौतमबुद्धनगर

4- साइबर सेल टीम के 03 सदस्य (जबलपुर मध्यप्रदेश) द्वारा अभियुक्तों के साथ मिलकर धोखाधडी करने के आरोप में साइबर सेल के 03 अभियुक्त व घटना में शामिल अन्य 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक-18-12-2020 को थाना सेक्टर-20 नोएडा को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के अन्तर्गत चौकी क्षेत्र सेक्टर 18 मे स्थित आईसीआईसीआई बैंक के पास से किसी अन्य प्रदेश से आये उ0नि0 से पिस्टल लूट की घटना हुई है, इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक सेक्टर-20 नोएडा, चौकी प्रभारी सेक्टर-18 तथा आस पास मे मौजुद सभी पीआरवी(पुलिस रिस्पांस व्हीकल्स) की गाडिया तथा आस पास तैनात पुलिस कर्मी घटना स्थल पहुंच कर छानबीन प्रारम्भ की गयी तथा उ0नि0 पंकज साहू एवम उ0नि0 राशीद परवेज खान से प्रारम्भिक पूछताछ के उपरान्त उ0नि0 राशीद परवेज खान द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना सेक्टर 20 नोएडा पर मुअ0स0-1175/2020 धारा 395 भा0द0वि0 बनाम 5-6 व्यक्ति गाडी वर्ना सवार नाम पता अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत कर उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में घटना के त्वरित अनवारण हेतु टीमे गठित कर रवाना की गयी।

उ0नि0 पंकज साहू से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि साईबर सेल की टीम आरोपी सूर्यभान यादव से तीन दिन से सम्पर्क मे थी तथा दिनांक 18-12-2020 को आरोपी सूर्यभान यादव के खाता

आईसीआईसीआई बैंक सेक्टर-18 नोएडा (जिसको जांचकर्ता उ0नि0 पंकज साहू ने ही जांच के दौरान फ्रीज करा दिया था) उस खाता को उ0नि0 पंकज साहू के द्वारा डी-फ्रीज कराकर उस खाते मे उपलब्ध लगभग 58 लाख रूपये निकाल कर साईबर टीम के द्वारा प्राप्त किया जाना था, जिसमे से कुछ रूपये आवेदक/शिकायतकर्ता चन्द्रकेतू दूबे निवासी जबलपुर के खाते मे ट्रांसफर कर दिया जाता, शेष धनराशि साईबर सेल की टीम अपने पास रखकर आरोपी सूर्यभान यादव को इस आरोप से बचाया जाता। आरोपी सूर्यभान यादव से पूछताछ से ज्ञात हुआ कि साईबर सेल जबलपुर की टीम ने सूर्यभान यादव को जबलपुर ले जाकर मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी तथा दिनांक 16.12.2020 से लेकर 18.12.2020 तक साइबर सैल टीम जबलपुर ने 04 लाख 70 हजार रूपये आरोपी सूर्यभान यादव को डरा धमकाकर प्राप्त किये। आरोपी सूर्यभान यादव ने यह भी बताया कि BITCOIN, ETHER, BITCOIN CASH के माध्मय से 24 लाख लगभग की राशि भी आवेदक चन्द्रकेतू दूबे को ट्रांसफर किया गया तथा पुनः वही 24 लाख लगभग की राशि साईबर सेल टीम के आरक्षी आसिफ अली को ट्रांसफर किया गया।

जबलपुर साईबर टीम आरोपी को महिपालपुर, दिल्ली लेकर एक होटल मे गयी तथा अरोपी के आईसीआईसीआई बैंक खाते के सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त की गयी तथा आवेदक को बताया गया कि दिनांक-18.12.2020 को आरोपी के खाते को डी-फ्रीज कर खाते मे उपलब्ध 58 लाख रूपये की राशि निकाली जायेगी तथा उसमे से कुछ राशि आवेदक/शिकायतकर्ता चन्द्रकेतू दूबे के खाते मे ट्रास्फर कर शेष राशि साईबर सेल की टीम प्राप्त करेगी। इसी क्रम मे दिनांक 18.12.2020 को साईबर सेल की टीम के दोनो उ0नि0 सेक्टर-18 नोएडा स्थित आईसीआईसीआई बैंक पहुचे । उ0नि0 पंकज साहू ने खाते को डिफ्रिज कराने के लिये बैंक के मैंनेजर का नाम, नंबर तथा अकाउन्ट का डिटेल आरोपी से माँगी। साइबर सैल जबलपुर टीम द्वारा बनाये गये प्लान के अनुसार आरोपी ने आईसीआईसीआई बैंक पहुँचकर अपने खाते को डिफ्रिज कराने के लिये साइबर सैल टीम के निर्देश के अनुसार कार्यवाही शूरू की। इसी समय आरोपी का एक साथी जिसका नाम मनोज तिवारी है, अपने 4-5 साथियो के साथ आकर उ0नि0 राशीद परवेज खान से विवाद कर उनका सर्विस पिस्टल छीन कर भाग गये। आरोपी सूर्यभान यादव द्वारा ही मनोज तिवारी को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी थी तथा साइबर सैल की टीम को सबक सिखाने का प्लान बनाया था। प्लानिग के अनुसार खाते को डीफ्रीज कराने के बाद उसमे से पैसा निकाल कर जैसे ही साईबर सेल की टीम को दिया जायेगा, मनोज तिवारी तथा उनके साथ के लडके मारपीट कर पैसा छीन लेगे। इसी क्रम मे मनोज तिवारी तथा उनके साथी वरना कार मे आये तथा उ0नि0 राशीद परवेज खान से पिस्टल छीन कर फरार हो गये। विवेचनात्मक कार्यवाही एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभि0गण 1 सूर्यभान यादव पुत्र मुसाफिर यादव निवासी वी-127 सैक्टर 12 नोएडा गौतमबुद्धनगर 2 शशिकान्त यादव पुत्र झिनकू यादव निवासी सी-104 सरस्वती विहार खोडा कालोनी गाजियाबाद 3- राशिद परवेज खान, उप निरीक्षक स्टेट साईबर जोन जबलपुर मध्य प्रदेश, 4.पंकज शाहू, उपनिरीक्षक स्टेट साईबर जोन जबलपुर मध्य प्रदेश 5 आसिफ खान आरक्षक स्टेट साईबर जोन जबलपुर मध्य प्रदेश को दिनांक 19.12.2020 को मैट्रो स्टेशन सेक्टर 18 नोएडा से पास से धारा 395,384,120बी,34 भादवि

के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है।घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं लूट गयी पिस्टल की बरामदगी के सतत् प्रयास जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1-राशिद परवेज खान पुत्र स्व0 अब्दुल अलीम खान निवासी 473/2 गांधी का व्यायामशाला कस्बा थाना रांझी जिला जबलपुर मध्य प्रदेश, वर्तमान उपनिरीक्षक स्टेट साईबर जोन जबलपुर मध्य प्रदेश

2-पंकज शाहू पुत्र देवेन्द्र कुमार शाहू निवासी वार्ड नम्बर-11 ग्राम व पोस्ट पडवार थाना बेरला जिला जबलपुर म0प्र0 वर्तमान उपनिरीक्षक स्टेट साईबर जोन जबलपुर मध्य प्रदेश,

3-आसिफ खान पुत्र अब्दुल रफी निवासी म0नम्बर 2394ए आनन्द नगर सरफाबाद शास्त्री वार्ड जबलपुर थाना गोहलपुर जिला जबलपुर म0प्र0 वर्तमान आरक्षक स्टेट साईबर जोन जबलपुर मध्यप्रदेश

4-सूर्यभान यादव पुत्र मुसाफिर यादव निवासी वी-127 सेक्टर 12 नोएडा गौतमबुद्धनगर मूल निवासी ग्राम सरदारपुर बाबू थाना मुबारकपुर जिला आजमगढ उ0प्र0,

5-शशिकान्त यादव पुत्र झिनकू यादव निवासी सी-104 सरस्वती विहार खोडा कालोनी गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम सरदारपुर बाबू थाना मुबारकपुर जिला आजमगढ उ0प्र0

अभियोग का विवरण-

1-मु0अ0सं0 1175/2020 धारा 395,384,120बी,34 भादवि थाना सेक्टर 20 नोएडा

बरामदगी -

1-एक एप्पल मैक बुक घटना मे प्रयुक्त

2-08 मोबाइल विभिन्न कम्पनी के घटना में प्रयुक्त

पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में कोविड 19 के दृष्टिगत बिना मास्क लगाकर घूमने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध चलाये जा रहे चेकिंग अभियान में दिनांक 20.12.2020 को 342 व्यक्तियों का चालान किया गया व 34,200/- रुपये शमन शुल्क वसूला गया।

आज दिनांक 20.12.20 को थाना फेस 2 क्षेत्र के अन्तर्गत इलाहाबास ग्राम में एक बच्चा उम्र करीब 2.5 वर्ष लावारिस घूमता हुआ मिला था । जो अपना व अपने माता पिता का नाम पता नही बता पा रहा था । थाना फेस 2 पुलिस द्वारा कड़ी मशक्कत कर बच्चे के परिजन माता शानबानो व नाना श्री सताफ निवासी याकूबपुर फेस 2 को तलाश कर बच्चे को सकुशल परिजनों के सुपुर्द किया गया । खोये बच्चे को प्राप्त करने के बाद परिजनों ने पुलिस की भूरि भूरि प्रशंसा की ।